इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018—माघ 13, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्रमांक एफ–3–33/2012/बत्तीस :– एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत विदिशा निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–19 उपधारा–2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 02/02/2018 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाइड www.mptownplan.nic पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा, म.प्र.।

उपातंरण का विवरण :–

1. **भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण :–**

1.1 विदिशा : मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई
सारणी 3–सा–10 में 2(ब)(2) के पश्चात् निम्नलिखित मार्ग का नाम एवं प्रस्तावित चौड़ाई अंतःस्थापित की जाना प्रस्तावित है :–
2(ब)(3) :– टीलाखेड़ी मार्ग तिराहे से ग्राम सोठिया से होते हुए निवेश क्षेत्र की सीमा तक –24 मीटर

1.2 कस्बा विदिशा स्थित राजमार्ग क्रमांक 19 के पश्चिम दिशा में सुमेर मार्ग पर यातायात एव पारवहन (पिकअप स्टेशन) का रेखांकन परिवर्तित कर बस स्थानक किया जाना प्रस्तावित है।

1.3 ग्राम बैस में शमशाबाद मार्ग तिराहे पर प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक का रेखांकन परिवर्तित कर आमोद–प्रमोद (स्टेडियम) किया जाना प्रस्तावित है।

1.4 मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा पश्चिम से दक्षिण होते हुये पूर्व तक विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग के लिये अन्य रेखाकंन के आधार पर बायपास मार्ग का विकास किया जा चुका है। अतः उक्त विकसित बायपास मार्ग रेखांकन के आधार पर विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग का रेखाकंन परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। मार्ग के रेखाकंन के प्रस्तावित परिवर्तन के कारण अन्य नगरीय उपयोगों में होने वाले आंशिक परिवर्तनों को भी उपांतरण में सम्मिलित किया गया है।

1.5 कस्बा विदिशा में ऑयल उद्योग से लगकर प्रस्तावित औधोगिक एवं आमोद–प्रमोद (वृक्षारोपण) के रेखांकन में परिवर्तन कर सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक (चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय) किया जाना प्रस्तावित है।

2. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के कारण विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण :–

प्रारूप विकास योजना विदिशा 2031 के कंडिका 4.1, कंडिका 4.2, कंडिका 4.3, कंडिका 4.5, कंडिका 4.5.2, कंडिका 4.6, कंडिका 4.8, कंडिका 4.8.1, कंडिका 4.9.1, कंडिका 4.10.1, कंडिका 4.15, कंडिका 4.16, कंडिका 4.19, कंडिका 4.21, कंडिका 4.23, कंडिका 4.25 एवं कंडिका 4.26 उपांतरित कर प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.